

कार्यालय, आयकर निवेशक (सूट)
छठी मंजिल, पीरामल दैम्बर्स, लालबाग मुंबई ४०००१२

आवेदा संख्या : आ.नि.(दू) / मु.न. / ८०-८०८०७/२३९८/२००८-०९

भिन्नरिती का नाम और पता	K.C. MAHINDRA EDUCATION TRUST CECIL COURT, 3RD FLOOR, MAHAKAVI BHUSHAN MARG, MUMBAI 400 001
12A रोड़ेशन सं.	TR/21/73-74 dated 18/03/1974
आवेदन की तारीख	10/03/2008
स्थान सं.	AAA TK 0315 Q
आवेदन की तारीख	21/08/2008

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (०१/०४/२००८ से ३१/०३/२०११ तक वैध)
(प्रारंभिक / नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों ये अपनीकरन / आवेदक के मामले की मुम्हाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंच हूँ कि उक्त संरक्षण ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपचारा (५)के छीं तर्ह को पूरा किया है। भिन्नरिती किसी दार्ता की अवधारणा उपचारा की धारा ८०-जी की धारा ८०-जी के अनुसार ये सुविधाओं द्वारा संस्थान द्वारा जावत कर ली जारीगी। संस्था की ८०-जी की यह सूट निम्न दाता पर रही जारी है।

- I) संस्था अपनी लेखा पुस्तकों नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (v) के अधीन - धारा १२० (बी) - के अनुपालन के साथ करेगी।
- II) बान्धाताओं छीं रही छीं लाने वाली रसीद पर छुट आदेश छीं संख्या एवं दिनांक अधिकृत की जायेगी और उस पर यह तर्ह से उपचारा जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है।
- III) न्यास / संस्था के विलेक्षण (deed)में अंतर्वर्ती धान्यानी प्रक्रिया के अनुसर ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को लंबागत दी जायेगी।
- IV) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १५६, धारा १८०(१)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा किसी व्यवसायिक नियमिति चलाने के लिए संस्था को अलग से भेजा पुस्तक रखनी होगी। साथ ही ऐसी नियमिति धूर ठोने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी।
- V) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त बान्धाता का किसी व्यवसाय ऐनु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तर्फ से उपचारों नहीं किया जायेगा।
- VI) संस्था बान्धाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय उपर वर्णित प्रतिबद्धता का आवार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का उपचारों या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपचारों न हो।
- VII) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर-न्यासी प्रयोजन के लिए न्यासी या सोसायटी या गैर-लाभ-कर्तनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी।
- VIII) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी नियंत्रित का उपयोग धारा ८०-जी (७)(iii) के अधीन नियमिति किसी विशेष धर्म या जाति या भौम्यत्व के नाम के लिए नहीं किया जायेगा।
- IX) संस्था धो न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कर्तनी के प्रबंधक न्यासी या इवांडक के बारे में यथाए आयकरसाए जाए दैश्यों को पूरा भरने के लिए न्यास या संस्था के किया गलाप छाँहीं किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय से नियमित अधिकारी को देनी होगी।
- X) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग फिल प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा इस संघर्ष में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा।
- XI) धार्यक व्यय मुम्भ आय के ४% से अधिक नहीं होगा।

आयकर अधिनियम १९८५, की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने शाप सूट भर्ती देता



— ६० —

(आटके सिनहा)

आयकर निवेशक (सूट), मुंबई।

५-

(मनुभाल देवा)

आयकर अधिकारी (दफ्तरीकी), मुंबई।

कृते आयकर निवेशक (सूट), मुंबई।

Clarification on Validity of 80G Certification

As per the amendment made in Section 80G(5) (vi) by Finance (No.2) Act, 2009, w.e.f 1st October, 2009, (Provision was omitted by the Finance (No.2) Act, 2009, w.e.f 01.10.2009- "Provided that any approval shall have effect for such assessment year or years, not exceeding five assessment years, as may be specified in the approval"). Accordingly, existing approvals expiring on or after 01.10.2009 shall be deemed to have been extended in perpetuity unless, specifically withdrawn by the Income Tax Department.